अंकन बनर्जी
अवर सचिव (भूटान)
फोन 2301 3007

फैक्स 2301 5694

विदेश मंत्रालय
(उत्तर प्रभाग)
नई दिल्ली

सं. ई.IV/231/06/2008 29 दिसम्बर, 2009

सेवा में,

श्री प्रशांत सुकुल,
संयुक्त सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय,
सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली।

महोदय,

यह विषय भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकार (आरजीओबी) के मध्य दिसम्बर, 2009 में भूटान नरेश की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते/समझौता ज्ञापनों के संदर्भ में है।

कृपया आपके अभिलेख हेतु निम्नलिखित समझौतों की प्रतियां संलग्न हैं:

1. भारत सरकार और आरजीओबी के मध्य हवाई सेवा समझौता
2. खोज एवं बचाव सेवाओं में सहयोग हेतु आरजीओबी और भारत सरकार के मध्य समझौता।

सादर

भवदीय

(अंकन बैनर्जी)

भारत गणराज्य की सरकार

और

भूटान की शाही सरकार

के बीच

हवाई सेवा समझौता

<u>भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच हवाई सेवा समझौता</u>

भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार (इसके पश्चात "पक्षकार" के रूप में संदर्भित);

दिनांक 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्षकार होने के नाते;

अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा अवसरों के विस्तार को सुगम बनाने की इच्छा रखते हुए;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए; तथा

अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में सुरक्षा एवं संरक्षा की उच्चतम कोटि सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए तथा विमान की संरक्षा के विरुद्ध कृत्यों या धमकियों के प्रति अपनी गंभीर चिंता की पुनः पुष्टि करते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, विमान सेवाओं के परिचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं तथा नागर विमानन की सुरक्षा में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, पद:

(1) "विमानन प्राधिकारी" से तात्पर्य प्रत्येक पक्षकार के महानिदेशक, नागर विमानन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति से है जो उक्त प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले कृत्यों को करने हेतु सशक्त है;

(2) "समझौता" से तात्पर्य इस समझौते, इसके अनुलग्नक और इसमें किए गए किसी संशोधन से है;

(3) "अभिसमय" से तात्पर्य दिनांक 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है, तथा इसमें अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अंतर्गत प्रवृत्त हुआ तथा दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित कोई संशोधन, तथा अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत अंगीकृत कोई अनुबंध या उसमें किया गया कोई संशोधन सम्मिलित है, बशर्ते ऐसे अनुबंध या संशोधन किसी भी समय दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हों;

(4) “हवाई सेवा”, “अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा”, “एयरलाइन” और “गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु ठहराव” का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में इन्हें निर्दिष्ट किया गया है;

(5) “नामित एयरलाइन” से तात्पर्य इस समझौते के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण) के अनुसार नामित एवं प्राधिकृत एयरलाइन से है;

(6) “टैरिफ” से तात्पर्य विमान कंपनियों द्वारा, उनके अभिकर्ताओं सहित, हवाई सेवा में यात्रियों (और उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन हेतु प्रभारित किसी भी भाड़े, दर या प्रभार से है, तथा ऐसे भाड़े, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों से है;

(7) “राज्यक्षेत्र” का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसे निर्दिष्ट किया गया है; तथा

(8) “उपयोगकर्ता प्रभार” से तात्पर्य विमानपत्तन, हवाई दिक्चालन या विमानन संरक्षा सुविधाओं या सेवाओं के प्रावधान हेतु एयरलाइनों पर अधिरोपित प्रभार से है, जिसमें विमान, उनके चालक दल, यात्रियों, सामान और कार्गो हेतु संबंधित सेवाएं और सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 2
अधिकारों का प्रदान किया जाना

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौते के अनुलग्नक के समुचित खंड या भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन हेतु इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात क्रमशः “अनुमत सेवाएं” और “विनिर्दिष्ट मार्ग” कहा जाएगा।

2. इस समझौते के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के आर-पार बिना लैंडिंग किए उड़ान भरना;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्टॉप करना; तथा

(ग) इस समझौते के अनुलग्नक में उस मार्ग हेतु विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर अनुमत सेवा का परिचालन करते समय, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में यात्रियों

तथा डाक सहित माल के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को, पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

3. इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नामित एयरलाइनों से भिन्न, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की कोई बात एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी अन्य प्वाइंट के लिए गंतव्य यात्रियों, माल और डाक को विमान में चढ़ाने का विशेषाधिकार प्रदान करती हुई नहीं समझी जाएगी।

5. यदि विशेष एवं असामान्य परिस्थितियों के कारण, एक पक्षकार की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा का परिचालन करने में असमर्थ है, तो दूसरा पक्षकार पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चित मार्गों की समुचित अस्थायी पुनर्व्यवस्था के माध्यम से ऐसी सेवा के निरंतर परिचालन को सुकर बनाने हेतु अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

6. एक पक्षकार की नामित विमान कंपनियों को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमार्गों, विमानपत्तनों और अन्य सुविधाओं का गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
विमान कंपनियों का नामांकन और प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुमत सेवाओं का परिचालन करने के प्रयोजन हेतु एक एयरलाइन या एयरलाइनों को नामित करने तथा ऐसे नामांकनों को वापस लेने या परिवर्तित करने का अधिकार होगा। ऐसे नामांकन लिखित रूप में किए जाएंगे तथा राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्षकार को प्रेषित किए जाएंगे और इसमें यह इंगित किया जाएगा कि क्या एयरलाइन अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रकार की विमान सेवाएं संचालित करने हेतु प्राधिकृत है।

2. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से इस प्रयोजन हेतु विहित प्ररूप और रीति में ऐसा नामांकन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ समुचित परिचालन प्राधिकार प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:

(क) उस एयरलाइन का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित हो;

(ख) नामित एयरलाइन आवेदन पर विचार करने वाले पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन पर सामान्यतः लागू विधियों और विनियमों के अंतर्गत विहित शर्तों को पूरा करने हेतु अर्हित हो; तथा

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) तथा अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) में वर्णित मानकों का पालन एवं प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद 4
परिचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण या निलंबन

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त परिचालन प्राधिकारी को प्रतिसंहृत, निलंबित या सीमित कर सकता है अथवा किसी भी मामले में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, जहां:

(क) उस एयरलाइन का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार या उसके नागरिकों या दोनों में निहित नहीं है;

(ख) एयरलाइन इस समझौते के अनुच्छेद 6 (विधियों का अनुप्रयोग) में निर्दिष्ट विधियों और विनियमों का अनुपालन करने में विफल रही है; अथवा

(ग) दूसरा पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) में वर्णित मानकों का अनुपालन एवं प्रशासन नहीं कर रहा है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के खंड (ख) और (ग) के आगे के अननुपालन को रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श के पश्चात ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के परिचालन प्राधिकारी को रोकने, प्रतिसंहृत करने, सीमित करने या उस पर शर्तें अधिरोपित करने के किसी भी पक्षकार के अधिकारों को सीमित नहीं करता है।

अनुच्छेद 5

अनुमत सेवाओं के परिचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के मध्य विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुमत सेवाओं का परिचालन करने हेतु दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों को उचित और समान अवसर प्राप्त होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता तथा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों पक्षकारों के बीच सहमत की जाएगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता तथा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि दोनों पक्षकारों के बीच सहमति के अध्यधीन होगी। ऐसी सहमति या समझौता होने तक, पहले से प्रवृत्त क्षमता और आवृत्ति हकदारियां प्रभावी रहेंगी।

4. पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों इस समझौते के अनुलग्नक मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्वाइंट पर ध्यान दिए बिना, किसी भी प्रकार के विमान के साथ पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों सहित एक-दूसरे के राज्यक्षेत्र के बीच किसी भी संख्या में पूर्ण-माल सेवाओं का परिचालन करने की हकदार होंगी। ऐसी पूर्ण-कार्गो सेवाएं तीसरे देशों की एयरलाइनों सहित किसी अन्य एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ कोड शेयरिंग, ब्लॉक्ड स्पेस आदि जैसी सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी परिचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6
विधियों का अनुप्रयोग

1. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते समय, अथवा उसे छोड़ते समय, विमान के परिचालन और नौवहन से संबंधित उसकी विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा किया जाएगा।

2. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते समय, अथवा उसे छोड़ते समय, विमान पर यात्रियों, सामान, चालक दल या माल के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश या उससे प्रस्थान से संबंधित उसकी विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं का (जिसमें प्रवेश, अनुमोचन, विमानन संरक्षा, आप्रवासन, पासपोर्ट, सीमाशुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध से संबंधित विनियम अथवा, डाक के मामले

में, डाक विनियम सम्मिलित हैं) अनुपालन दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, चालक दल या माल प्रेषकों द्वारा, या उनकी ओर से, किया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद में उपबंधित विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में कोई भी पक्षकार समान अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में संलग्न दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन की तुलना में अपनी या किसी अन्य एयरलाइन को वरीयता नहीं देगा।

4. किसी भी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से सीधे पारगमन में यात्रियों, सामान और माल पर, जो ऐसे प्रयोजन हेतु आरक्षित विमानपत्तन के क्षेत्रों को नहीं छोड़ते, हिंसा, वायु डकैती, नारकोटिक्स नियंत्रण आदि के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के संबंध को छोड़कर, केवल एक सरलीकृत नियंत्रण ही लागू होगा।

अनुच्छेद 7
उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभारकर्ता प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर अधिरोपित किए जा सकने वाले उपयोगकर्ता प्रभार न्यायसंगत, युक्तियुक्त, गैर-भेदभावपूर्ण होंगे, तथा उपयोगकर्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समतापूर्ण ढंग से आवंटित होंगे। ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर उन शर्तों से कम अनुकूल शर्तों पर निर्धारित नहीं किए जाएंगे जो प्रभार निर्धारण के समय किसी अन्य एयरलाइन को उपलब्ध हों।

2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर अधिरोपित उपयोगकर्ता प्रभार सक्षम प्रभारकर्ता प्राधिकारियों को विमानपत्तन या विमानपत्तन प्रणाली में समुचित विमानपत्तन, पर्यावरणीय, हवाई दिक्चालन और विमानन संरक्षा सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में मूल्यह्रास के पश्चात आस्तियों पर युक्तियुक्त प्रतिफल सम्मिलित हो सकता है। जिन सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार लगाए जाते हैं, वे दक्ष और मितव्ययी आधार पर प्रदान की जाएंगी।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम प्रभारकर्ता प्राधिकारियों तथा सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभारकर्ता प्राधिकारियों और एयरलाइनों को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) में

कथित सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की युक्तियुक्तता की सटीक और पारदर्शी समीक्षा की अनुमति देने हेतु आवश्यक जानकारी के आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभारकर्ता प्राधिकारियों को उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव की युक्तियुक्त सूचना प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करेगा ताकि उपयोगकर्ता परिवर्तन लागू किए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त कर सकें।

4. अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटारा) के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं में, कोई भी पक्षकार इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, यदि:

(i) उसने दूसरे पक्षकार की शिकायत का विषय बने प्रभार या प्रथा की युक्तियुक्त समय के भीतर समीक्षा की है; तथा

(ii) ऐसी समीक्षा के पश्चात, उसने इस अनुच्छेद के साथ असंगत किसी भी प्रभार या प्रथा को ठीक करने हेतु अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाए हैं।

अनुच्छेद 8
सीमाशुल्क और प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार, पारस्परिकता के सिद्धांत पर, अपने राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यथासंभव पूर्णतया, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमान, ईंधन, स्नेहक तेल, उपभोज्य तकनीकी सामग्री, इंजनों सहित कल-पुर्जों, नियमित विमान उपकरणों, विमान भंडार (जिसमें बिक्री हेतु गंतव्य या केवल विमान के परिचालन या सर्विसिंग के संबंध में उपयोग हेतु खाद्य, पेय और मदिरा, तंबाकू और अन्य उत्पादों जैसी वस्तुएं सम्मिलित हैं किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) तथा मुद्रित टिकट स्टॉक, एयरवे बिल, कंपनी के प्रतीक चिन्ह वाली किसी मुद्रित सामग्री और नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा नि:शुल्क वितरित सामान्य प्रचार सामग्री जैसी अन्य वस्तुओं पर सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, निरीक्षण फीस तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों और प्रभारों से छूट देगा।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट वस्तुएं –

(क) दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा या उसकी ओर से एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाई जाएं;

(ख) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में आगमन या प्रस्थान पर एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर रखी रहें; अथवा

(ग) अनुमत सेवाओं के परिचालन में उपयोग हेतु दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर चढ़ाई जाएं।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि क्या ऐसी वस्तुएं छूट प्रदान करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर पूर्णतः उपयोग या उपभोग की जाती हैं या नहीं, बशर्ते ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उक्त पक्षकार के राज्यक्षेत्र में अंतरित न किया जाए।

4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर सामान्यतः रखे गए नियमित हवाई उपस्कर, साथ ही सामग्री और सामान, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उस पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारे जा सकते हैं। ऐसे मामले में, उन्हें उक्त प्राधिकारियों की देखरेख में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात नहीं किया जाता या सीमाशुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा निपटाया नहीं जाता।

अनुच्छेद 9
सुरक्षा

1. कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के संबंध में विमानन सुविधाओं, विमान चालक दल, विमान और नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के परिचालन से संबंधित बनाए रखे गए सुरक्षा मानकों के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श अनुरोध के 30 दिनों के भीतर अथवा पक्षकारों के बीच सहमत किसी लंबी अवधि के भीतर होंगे।

2. यदि ऐसे परामर्श के पश्चात, एक पक्षकार यह पाता है कि पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में, अभिसमय के अनुसार उस समय स्थापित मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षा मानकों का, दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के संबंध में प्रभावी रूप से पालन और प्रशासन नहीं किया जा रहा है, तो दूसरे पक्षकार को ऐसे निष्कर्षों और इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने हेतु आवश्यक समझे गए कदमों के बारे में सूचित किया जाएगा, तथा दूसरा पक्षकार सहमत समयावधि के भीतर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. यदि दूसरा पक्षकार 30 दिनों के भीतर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है, तो प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के परिचालन प्राधिकारी को निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. यह सहमति है कि दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से या उसके लिए सेवाओं पर एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा परिचालित किसी भी विमान को, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर रहते हुए, दूसरे पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विमान दस्तावेजों और उसके चालक दल के दस्तावेजों की वैधता तथा विमान और उसके उपस्करों की प्रत्यक्ष स्थिति की जांच हेतु विमान पर और उसके आसपास परीक्षण (इस अनुच्छेद में "रैंप निरीक्षण" कहा गया है) का विषय बनाया जा सकता है, बशर्ते इससे अयुक्तियुक्त विलंब न हो।

5. यदि ऐसा कोई रैंप निरीक्षण या रैंप निरीक्षणों की शृंखला निम्नलिखित को जन्म देती है:

– यह गंभीर चिंता कि कोई विमान या विमान का परिचालन अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करता है; अथवा

– यह गंभीर चिंता कि अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण और प्रशासन का अभाव है;

तो निरीक्षण करने वाला पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों हेतु, यह निष्कर्ष निकालने हेतु स्वतंत्र होगा कि जिन अपेक्षाओं के अंतर्गत उस विमान या उसके चालक दल के संबंध में प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं या वैध बनाई गई थीं अथवा जिन अपेक्षाओं के अंतर्गत वह विमान परिचालित किया जाता है, वे अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समान या उससे ऊपर नहीं हैं।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा परिचालित विमान के रैंप निरीक्षण करने के प्रयोजन हेतु उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा पहुंच से इनकार किया जाता है, तो दूसरा पक्षकार यह अनुमान लगाने हेतु स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (5) में निर्दिष्ट प्रकार की गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं तथा उस पैराग्राफ में निर्दिष्ट निष्कर्ष निकाल सकता है।

7. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइन या एयरलाइनों के परिचालन प्राधिकारी को तत्काल निलंबित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि पहला पक्षकार, चाहे रैंप निरीक्षण, रैंप निरीक्षणों की शृंखला, रैंप निरीक्षण हेतु पहुंच से इनकार, परामर्श या अन्यथा के परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष निकालता है कि एयरलाइन के परिचालन की सुरक्षा हेतु तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

8. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) या (7) के अनुसार एक पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई उस कार्रवाई को करने का आधार समाप्त होते ही बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 10
विमानन संरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और बाध्यताओं के अनुसार, दोनों पक्षकार यह पुनः पुष्टि करते हैं कि विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की संरक्षा की रक्षा करने हेतु एक-दूसरे के प्रति उनकी बाध्यता इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और बाध्यताओं की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से दिनांक 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में संपन्न विमान पर किए गए अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, दिनांक 16 दिसंबर, 1970 को हेग में संपन्न विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के दमन हेतु अभिसमय, दिनांक 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में संपन्न नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अभिसमय और दिनांक 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में संपन्न इसके प्रोटोकॉल तथा विमानन संरक्षा पर किसी अन्य अभिसमय, जिसके दोनों पक्षकार सदस्य बनते हैं, के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध पर, दोनों पक्षकार नागर विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के कृत्यों तथा ऐसे विमान, उनके यात्रियों और चालक दल, विमानपत्तनों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों को रोकने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, तथा नागर हवाई दिक्चालन की संरक्षा हेतु किसी अन्य खतरे का समाधान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा अभिसमय के अनुलग्नकों के रूप में नामित सभी विमानन संरक्षा मानकों और समुचित संस्तुत प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनकी पंजीयन के विमानों के परिचालक, जिनका उनके राज्यक्षेत्र में प्रधान कारबार स्थान या स्थायी निवास है ऐसे विमानों के परिचालक तथा उनके राज्यक्षेत्र में विमानपत्तनों के परिचालक ऐसे विमानन संरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान हेतु दूसरे पक्षकार द्वारा अपेक्षित संरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करने तथा विमान की सुरक्षा हेतु समुचित उपाय करने और चढ़ाई या लदान से पूर्व एवं उसके दौरान यात्रियों, चालक दल, तथा उनके सामान और साथ ले जाई जाने वाली वस्तुओं, साथ ही माल और विमान भंडार का निरीक्षण करने हेतु सहमत है। प्रत्येक पक्षकार किसी

विशेष खतरे का सामना करने हेतु विशेष संरक्षा उपायों के लिए दूसरे पक्षकार के किसी भी अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण की कोई घटना या धमकी अथवा यात्रियों, चालक दल, विमान, विमानपत्तनों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्य घटित होते हैं, तो दोनों पक्षकार ऐसी घटना या धमकी को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के आशय से संचार और अन्य समुचित उपायों को सुकर बनाकर एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि दूसरा पक्षकार इस अनुच्छेद के विमानन संरक्षा प्रावधानों से विचलित हो गया है, तो उस पक्षकार के विमानन प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तारीख से 15 दिनों के भीतर संतोषजनक सहमति तक न पहुंचना उस पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के परिचालन प्राधिकारी को रोकने, प्रतिसंहृत करने, सीमित करने या उस पर शर्तें अधिरोपित करने का आधार गठित करेगा। आपात स्थिति द्वारा अपेक्षित होने पर, कोई भी पक्षकार 15 दिनों की समाप्ति से पूर्व अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. पैराग्राफ (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई इस अनुच्छेद के प्रावधानों के साथ दूसरे पक्षकार के अनुपालन पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमान सेवाओं के संवर्धन और विक्रय तथा विमान सेवाओं के प्रावधान हेतु अपेक्षित अन्य आनुषंगिक उत्पादों और सुविधाओं हेतु दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, प्रवेश, निवास और नियोजन से संबंधित दूसरे पक्षकार की विधियों और विनियमों के अनुसार, विमान सेवाओं और अन्य आनुषंगिक उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान हेतु अपेक्षित प्रबंधकीय, विक्रय, तकनीकी, परिचालनात्मक और अन्य विशेषज्ञ स्टाफ को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाने और बनाए रखने की हकदार होंगी। ऐसी स्टाफ अपेक्षाएं, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता के अपने स्वयं के कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में परिचालनरत तथा उस अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकती हैं।

3. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में सीधे तथा, एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से विमान सेवाओं और उसके आनुषंगिक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के विक्रय में संलग्न हो सकती है। इस प्रयोजन हेतु, एयरलाइन को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति उस राज्यक्षेत्र की मुद्रा में या स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे परिवहन और उसके आनुषंगिक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को खरीदने हेतु स्वतंत्र होगा।

4. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, मांग पर, किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में, विमान परिवहन और अन्य आनुषंगिक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के विक्रय के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व, साथ ही ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज (अंतरण की प्रतीक्षा में जमाराशियों पर अर्जित ब्याज सहित) को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और अंतरित करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और प्रेषण को उस तारीख को चालू संव्यवहारों और प्रेषण पर लागू विनिमय दर पर, बिना किसी प्रतिबंध या उसके संबंध में कराधान के, तत्परता से अनुमति दी जाएगी जिस तारीख को एयरलाइन प्रेषण हेतु प्रारंभिक आवेदन करती है।

5. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में ईंधन की खरीद सहित स्थानीय व्ययों का भुगतान करने की अनुमति होगी। अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे व्ययों का भुगतान कर सकती हैं।

6. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग इस समझौते के प्रयोजनों के अनुरूप लागू घरेलू नियमों और विनियमों के अनुसार होगा। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व के अंतरण पर प्रतिबंध अधिरोपित करता है, तो उत्तरार्द्ध को प्रथम पक्षकार की नामित एयरलाइनों पर पारस्परिक प्रतिबंध अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 12
सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाएं

1. विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुमत सेवाओं का परिचालन करते या प्रस्तुत करते समय, चाहे परिचालक एयरलाइन के रूप में हो या विपणन एयरलाइन के रूप में, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन

(एयरलाइनें) निम्नलिखित के साथ कोड-शेयर, ब्लॉक स्पेस या किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था जैसी सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाएं कर सकती हैं:

(क) उसी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा

(ख) दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें)।

2. सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाओं में सम्मिलित परिचालक एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास मार्ग अधिकारों और क्षमता हकदारियों सहित अंतर्निहित यातायात अधिकार होंगे तथा वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. सहयोगात्मक व्यवस्थाओं में सम्मिलित सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनें) अंतर्निहित मार्ग अधिकार रखेंगी तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं द्वारा परिचालित कुल क्षमता केवल परिचालक) एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी के विरुद्ध गिनी जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रस्तावित क्षमता उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी।

5. परिचालक एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के विमानन प्राधिकारी सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विमान सेवाओं के प्रारंभ से पूर्व विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) को अनुमोदन हेतु समय-सारणी दाखिल करने तथा कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

6. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत विक्रय हेतु सेवाओं को प्रस्तुत करते समय, संबंधित एयरलाइन या उसका अभिकर्ता विक्रय प्वाइंट पर क्रेता को यह स्पष्ट करेगा कि सेवा के प्रत्येक खंड पर कौन सी एयरलाइन परिचालक एयरलाइन होगी तथा क्रेता किस एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदात्मक संबंध में प्रवेश कर रहा है।

7. कोड शेयरिंग सेवाएं प्रदान करने से पूर्व, कोड शेयरिंग भागीदार इस बारे में सहमत होंगे कि संरक्षा, सुरक्षा, सुकरता, दायित्व और अन्य उपभोक्ता संबंधी मामलों हेतु कौन सा पक्ष उत्तरदायी होगा। कोड-शेयर व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से पूर्व ऐसा करार दोनों पक्षकारों के विमानन प्राधिकारियों के पास दाखिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13
अंतर-प्रणाली सेवाएं

प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को यात्रियों और माल के विमान परिवहन के संबंध में, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी भी प्वाइंट से या उसके लिए किसी भी अंतर-प्रणाली परिवहन को नियोजित करने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनें) अपना स्वयं का अंतर-प्रणाली परिवहन करने अथवा कोड शेयर सहित अन्य वाहकों के साथ व्यवस्थाओं के माध्यम से इसे प्रदान करने का विकल्प चुन सकती हैं। अंतर-प्रणाली सेवाओं को एक सतत सेवा के रूप में तथा विमान और अंतर-प्रणाली परिवहन दोनों के लिए एकल मूल्य पर प्रस्तावित किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों और प्रेषकों को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया जाए।

अनुच्छेद 14
समय-सारणियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्षकार के विमानन प्राधिकारी दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमत सेवाओं के उद्घाटन से कम से कम 30 दिन पूर्व, उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ, सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार और प्रत्येक प्वाइंट पर उड़ान समय से संबंधित जानकारी वाली उड़ान समय-सारणी दाखिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी प्रत्येक आईएटीए यातायात मौसम हेतु कम से कम 30 दिन पूर्व तथा अनुमत सेवाओं के परिचालन के संबंध में जब कभी कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी प्रदान की जाएगी।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों को यह समाधान कराने हेतु अपेक्षित कोई अन्य जानकारी भी प्रदान करेंगी कि इस समझौते की अपेक्षाओं का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 15
सांख्यिकी का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्षकार के विमानन प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए अनुमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान ढोए गए यातायात से संबंधित, ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के बिंदुओं को दर्शाती हुई सांख्यिकी प्रदान करेंगे या अपनी नामित

एयरलाइन (एयरलाइनों)) से प्रदान कराएंगे। ऐसी सांख्यिकी प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र प्रदान की जाएगी, किंतु जिस माह से वे संबंधित हैं, उसके पश्चात 30 दिनों से अधिक विलंब से नहीं।

2. प्रत्येक पक्षकार के विमानन प्राधिकरण, अनुरोध पर, दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए ढोए गए यातायात के वास्तविक उद्भव और गंतव्य से संबंधित सांख्यिकी प्रदान करेंगे या अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से प्रदान कराएंगे।

अनुच्छेद 16
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा परिचालित अनुमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा बाजार में अपने वाणिज्यिक विचारों के आधार पर युक्तियुक्त स्तरों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें परिचालन लागत और युक्तियुक्त लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर सम्यक ध्यान दिया जाएगा।

2. पैराग्राफ (1) के अंतर्गत स्थापित टैरिफों को एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा दूसरे पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों के पास दाखिल किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी।

3. पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रत्येक पक्षकार को निम्नलिखित हेतु हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

(क) ऐसे टैरिफ़ों को रोकना जिनका अनुप्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार गठित करता है जिसका किसी प्रतिस्पर्धी को पंगु बनाने या मार्ग से बाहर करने का प्रभाव है या होने की संभावना है या ऐसा आशयित है;

(ख) प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या निर्बंधक टैरिफ़ों से उपभोक्ताओं की रक्षा करना; तथा

(ग) एयरलाइनों को शिकारी या कृत्रिम रूप से निम्न टैरीफ़ों से संरक्षित करना।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में वर्णित प्रयोजनों हेतु, एक पक्षकार के विमानन प्राधिकारी दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों से टैरिफ़ों की स्थापना से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

5. यदि एक पक्षकार यह मानता है कि दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रभारित टैरिफ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में वर्णित विचारों के साथ असंगत है, तो वह यथाशीघ्र अपने असंतोष

के कारणों की दूसरे पक्षकार को सूचना देगा तथा परामर्श का अनुरोध करेगा जो अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों बाद तक आयोजित किए जाएंगे। यदि पक्षकार उस टैरिफ के संबंध में सहमति पर पहुंचते हैं जिसके लिए असंतोष की सूचना दी गई थी, तो प्रत्येक पक्षकार उस सहमति को प्रभावी करने हेतु अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। ऐसी सहमति के अभाव में, पूर्व विद्यमान प्रशुल्क प्रभावी बना रहेगा।

अनुच्छेद 17
बहुपक्षीय समझौते

1. इस समझौते को कार्यान्वित करने में, पक्षकार अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहां तक कि वे प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर लागू होते हैं।

2. यदि, इस समझौते के प्रवृत्त होने के पश्चात, दोनों पक्षकार किसी ऐसे बहुपक्षीय समझौते के पक्षकार बन जाते हैं जो इस समझौते द्वारा आच्छादित विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्षकार यह अवधारित करने हेतु परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय समझौते को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 18
परामर्श

1. कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, इस समझौते के निर्वचन, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन अथवा इस समझौते के अनुपालन पर परामर्श हेतु लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसे परामर्श उस तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होंगे जिस तारीख को दूसरा पक्षकार अनुरोध प्राप्त करता है।

अनुच्छेद 19
संशोधन

1. इस समझौते को पक्षकारों की लिखित सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन इस समझौते के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार प्रवृत्त होगा।

3. पैराग्राफ (2) के होते हुए भी, पक्षकार इस समझौते के प्रावधान में किसी संशोधन को तत्काल प्रभाव देने हेतु सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटारा

1. इस समझौते के अंतर्गत उत्पन्न कोई भी विवाद जो औपचारिक परामर्श द्वारा हल नहीं होता है, पक्षकारों की सहमति से, निर्णय हेतु किसी व्यक्ति या निकाय को निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि पक्षकार ऐसा सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, नीचे वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार माध्यस्थम् को सौंपा जाएगा।

2. माध्यस्थम् तीन माध्यस्थों के अधिकरण द्वारा होगा जो निम्नानुसार गठित किया जाएगा:-

(क) माध्यस्थम् हेतु अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक पक्षकार एक माध्यस्थ का नाम देगा। इन दोनों माध्यस्थों के नामित होने के 60 दिनों के भीतर, वे सहमति से एक तृतीय माध्यस्थ नियुक्त करेंगे, जो माध्यस्थ अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

(ख) यदि कोई भी पक्षकार किसी माध्यस्थ का नाम देने में विफल रहता है, अथवा यदि इस पैराग्राफ के खंड (क) के अनुसार तृतीय माध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है, तो कोई भी पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक माध्यस्थ या माध्यस्थों को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष पक्षकारों में से किसी एक की समान राष्ट्रीयता का है, तो सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो उस आधार पर अयोग्य नहीं है, नियुक्ति करेगा। यदि अध्यक्ष या सबसे वरिष्ठ अर्हित उपाध्यक्ष इस पैराग्राफ के अंतर्गत तृतीय माध्यस्थ नियुक्त करता है, तो वह तृतीय माध्यस्थ पक्षकारों में से किसी का भी नागरिक नहीं होगा।

3. अन्यथा सहमति के अतिरिक्त, माध्यस्थ अधिकरण इस समझौते के अनुसार अपनी अधिकारिता की सीमाएं अवधारित करेगा तथा अपनी स्वयं की प्रक्रिया के नियम स्थापित करेगा। अधिकरण, एक बार गठित होने पर, अपने अंतिम अवधारण के लंबित रहने तक अंतरिम अनुतोष उपायों की संस्तुति कर सकता है। अधिकरण के निदेश पर या किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम् किए जाने वाले

सटीक मुद्दों और अनुसरण की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं को अवधारित करने हेतु एक सम्मेलन अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों बाद तक आयोजित किया जाएगा।

4. अन्यथा सहमति या अधिकरण द्वारा निदेशित के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिनों पश्चात देय होंगे। अधिकरण किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर या अपनी स्वयं की पहल पर उत्तर देय होने के 15 दिनों के भीतर सुनवाई आयोजित करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई आयोजित नहीं की जाती है, तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात, लिखित निर्णय देने का प्रयास करेगा। अधिकरण के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा।

6. कोई भी पक्षकार निर्णय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उस पर स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध कर सकता है तथा ऐसे अनुरोध के 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपनी राष्ट्रीय विधि के अनुरूप सीमा तक, माध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय या अवॉर्ड को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. माध्यस्थों की फीस और व्ययों सहित माध्यस्थ अधिकरण के व्यय, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (ख) में वर्णित प्रक्रिया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी व्यय को माध्यस्थ अधिकरण के व्यय का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद 21
निलंबन

कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, इस समझौते को निलंबित करने के अपने विनिश्चय की लिखित सूचना दूसरे पक्षकार को दे सकता है। ऐसी सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को एक साथ भेजी जाएगी। यह समझौता दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख की प्रथम वर्षगांठ से ठीक पूर्व सूचना की प्राप्ति के स्थान पर मध्यरात्रि में समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व पक्षकारों की सहमति से सूचना वापस नहीं ली जाती। दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति के अभाव में,

सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना की प्राप्ति के चौदह दिनों पश्चात प्राप्त हुआ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 22
आईसीएओ के साथ पंजीकरण

यह समझौता तथा इसके सभी संशोधन, हस्ताक्षर पर, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 23
प्रवृत्त होना

यह समझौता पक्षकारों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान में परवर्ती नोट की तारीख को प्रवृत्त होगा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक पक्षकार ने इस समझौते और इसके अनुलग्नकों के प्रवृत्त होने हेतु आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

जिसके साक्ष्य में, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।

नई दिल्ली में इस बाईस (22) दिसंबर, 2009 को अंग्रेजी भाषा में द्विप्रति में संपन्न, जो प्रामाणिक पाठ होगा। समझौते का हिंदी और जोंगखा भाषाओं में अनुवाद तैयार किया जाएगा तथा राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा सहमत होने पर, जो अंग्रेजी भाषा के पाठ के साथ उनकी अनुरूपता की पुष्टि करते हैं, समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा। निर्वचन में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

(श्री एस.एम. कृष्णा)
विदेश मंत्री
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(ल्योनपो खांडू वांगचुक)
आर्थिक कार्य मंत्री
भूटान की शाही सरकार की ओर से

अनुलग्नक-1

मार्ग अनुसूची

खंड I

भूटान की शाही सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों हेतु मार्ग:

उद्भव प्वाइंट	**मध्यवर्ती प्वाइंट**	**भारत में प्वाइंट**	**आगे के प्वाइंट**
मार्ग 1 भूटान में प्वाइंट		दिल्ली मुंबई चेन्नई	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट बैंकॉक सिंगापुर
मार्ग 2 भूटान में प्वाइंट	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट	कोलकाता	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट बैंकॉक यांगून
मार्ग 3 भूटान में प्वाइंट	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट	हैदराबाद बैंगलोर	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट
मार्ग 4 भूटान में प्वाइंट	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट	बागडोगरा	सार्क क्षेत्र में कोई भी बिंदु प्वाइंट
मार्ग 5 भूटान में प्वाइंट	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट	गया	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट बैंकॉक यांगून
मार्ग 6 भूटान में प्वाइंट	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट	गुवाहाटी	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट, बैंकॉक
मार्ग 7 भूटान में प्वाइंट	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट	अहमदाबाद अमृतसर औरंगाबाद भुवनेश्वर कालीकट कोचीन गोवा जयपुर खजुराहो लखनऊ पटना	सार्क क्षेत्र में कोई भी प्वाइंट

उद्भव प्वाइंट	मध्यवर्ती प्वाइंट	भारत में प्वाइंट	आगे के प्वाइंट
		पोर्ट ब्लेयर तिरुवनंतपुरम तिरुचिरापल्ली वाराणसी विशाखापत्तनम	